# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शिव, जिला–बाड़मेर

**पीठासीन अधिकारी : श्री यक्ष चौधरी (आई.ए.एस)**

**राजस्व आवेदन संख्या : 147/2024**

क्रमांक/आवेदन/2025/4288 दिनांक : 25.03.2025

**प्रार्थीगण**

जोगाराम पुत्र नारणाराम,
जाति जाट, निवासी डलानाडा,
तहसील शिव, जिला बाडमेर वगैरह (03)

**विप्रार्थीगण**

गंगाराम पुत्र जैसाराम,
वगैरा (20)

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम**

**–:: आदेश ::–**

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नेखमबंदी आवेदन पर प्रार्थीगण अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। भू–अभिलेख निरीक्षक नीम्बला को प्रार्थीगण की मौजा डलानाडा तहसील शिव में अवस्थित खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 439/334 रकबा 9.7124 हैक्टेयर विवादित भूमि को वर्तमान सर्वेक्षण मानचित्रों के आधार पर एवं लैण्ड रेकार्डस रूल्स, 1957 के नियम 34 (3) की प्रक्रिया अपनाते हुए भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित कर पालना प्रतिवेदन 15 दिवस में भिजवानें हेतु 500/– रूपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। निरीक्षक भू–अभिलेख नीम्बला बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें।

**उपखण्ड अधिकारी**
**शिव, जिला–बाड़मेर**
दिनांक :– 25.3.25

क्रमांक :– आवेदन/2025/4289-93

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ –

1. तहसीलदार **शिव** को सुचनार्थ।
2. भू–अभिलेख निरीक्षक **नीम्बला** को पालनार्थ।
3. हल्का पटवारी **नागडदा** को भेजकर लेख है कि भू–अभिलेख निरीक्षक नीम्बला द्वारा निर्धारित तिथि को मय रिकार्ड मौके पर उपस्थित होकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
4. प्रार्थी जोगाराम पुत्र नारणाराम वगैरह (03) को सूचनार्थ।
5. विप्रार्थीगण गंगाराम पुत्र जैसाराम वगैरा (20) को सूचनार्थ।

**उपखण्ड अधिकारी**
**शिव, जिला–बाड़मेर**

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.06.02 13:54:15 IST
Reason: SelfAttested